भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3013
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

चेन्नई हवाई अड्डे का विस्तार

3013. थिरु दयानिधि मारन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का चरण-द्वितीय विस्तार, जो मूल रूप से मार्च 2026 तक पूर्ण होने का कार्यक्रम था, समय पर पूर्ण होने के बार-बार आश्वासनों एवं सार्वजनिक धनराशि आवंटन के बावजूद अब 2026 के अंत या 2027 के प्रारंभ तक स्थगित कर दिया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) परियोजना के जल्द पूर्ण होने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार और विमानपत्तन प्राधिकरण भारत (एएआई) द्वारा किये गए ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है और विशिष्ट समय सीमाएँ, द्रवित हानि अधिरोपण और असुविधा कम करने हेतु अंतरिम यात्री यातायात प्रबंधन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुमानित यात्री मात्रा एवं निवेश के ओवरलैप को ध्यान में रखते हुए इस विलंब का तमिलनाडु में चल रही एवं प्रस्तावित ग्रीनफील्ड विमानपत्तन परियोजनाओं पर प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार का कारणों, संशोधित लागत अनुमान, वित्तीय निहितार्थ एवं समय सीमा में बार-बार परिवर्तन हेतु उत्तरदायित्व का उल्लेख करने वाला औपचारिक प्रगति और विलंब प्रतिवेदन जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चेन्नई हवाईअड्डे का विस्तार और आधुनिकीकरण 2467 करोड़ रुपये की कुल लागत से दो चरणों में किया है। चरण-II में टर्मिनल-3 का विकास शामिल है, जो हवाईअड्डे की क्षमता को 35 एमपीपीए तक बढ़ाएगा। परियोजना की मूल निर्धारित समय सीमा फरवरी 2022 थी, जिसे संशोधित कर जून 2026 कर दिया गया है।

(ख): परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भाविप्रा द्वारा साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा के साथ-साथ, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। निष्पादन एजेंसी के कारण होने वाली देरी के लिए परिसमाप्त नुकसान अनुबंध प्रावधानों द्वारा अधिशासित होते हैं।

(ग) : चेन्नई हवाईअड्डे पर चल रहे नए टर्मिनल के निर्माण का उद्देश्य हवाईअड्डे की समग्र क्षमता को 35 एमपीपीए तक बढ़ाना है और इसका तमिलनाडु राज्य में अन्य चल रही या प्रस्तावित हवाईअड्डा परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) : हवाईअड्डा परियोजना का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि संबंधित हवाईअड्डे के विकासकर्ता द्वारा भूमि अधिग्रहण, विनियामक मंजूरी, बाधाओं को दूर करना और वित्तीय समापन। तथापि, चेन्नई हवाईअड्डे पर नए टर्मिनल सहित चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समयसीमा, लागत और लक्ष्यों के संबंध में लगातार निगरानी की जाती है।

*****